राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक पं. 7(2)कार्मिक/क–2/19 जयपुर, दिनांक: 30/06/2021

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)।

परिपत्र

विषयः–रोस्टर पंजिका संधारित किये जाने के सम्बन्ध में।

इस विभाग द्वारा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 24.02.2020 (कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध) के माध्यम से सीधी भर्ती/पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाली पदों पर आरक्षण रोस्टर संचालन के संबंध में विस्तृत निर्देशक सिद्धान्त निर्गत किये गये है।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29.05.2020 एवं दिनांक 27.07.2020 द्वारा सभी विभागों को अपने–अपने विभाग में सभी संवर्गो के लिए रोस्टर पंजिकाएँ संधारित कर दिनांक 31.08.2020 तक विभाग के शासन सचिव की ओर से इस आशय का प्रमाण–पत्र कार्मिक विभाग में प्रस्तुत करने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये थे। उक्त निर्देशों की पालना नही किये जाने पर परिपत्र दिनांक 27.10.2020 एवं परिपत्र दिनांक 03.03.2021 द्वारा पुनः उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चत करने हेतु निर्देश जारी किये गये थे, परंतु कई विभागों द्वारा आदिनांक तक उक्त आशय का प्रमाण–पत्र इस विभाग को प्रस्तुत नही किया गया है। जिन विभागो द्वारा रोस्टर पंजिकाएँ संधारित कर लिंक कार्मिक विभाग को उपलब्ध करवाया गया है उनके अवलोकन से यह पाया गया है कि कुछ विभागों द्वारा रोस्टर पंजिका निर्धारित प्रारूप में संधारित नही की गई है।

इस क्रम में सभी संबंधित को व्यादिष्ट किया जाता है कि दिनांक **15.07.2021 तक आवश्यक रूप से** सभी संवर्गो के लिए रोस्टर पंजिकाएँ कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 24.02.2020 द्वारा निर्धारित प्रारूप में संधारित कर इस आशय का प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग में प्रेषित करने के साथ ही उक्त **रोस्टर पंजिकाओं को विभाग की वेबसाईट पर भी अद्यतन करावें एवं उसका एक लिंक (सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के रोस्टर हेतु एक ही लिंक) कार्मिक विभाग की ई–मेल आई.डी. itcell.dop@rajasthan.gov.in पर भिजवाने का श्रम करें, ताकि उसे कार्मिक विभाग की वेबसाईट** पर भी उपलब्ध करवाया जा सके।

अद्यतन संधारित रोस्टर पंजिका के अभाव मे पदोन्नति/भर्ती नही होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की होगी।

(निरंजन आर्य)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
4. वरिष्ठ, उप सचिव, मुख्य सचिव।
5. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव गण।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

D:/Vishnu/Circular/2017